

10⁶/₂₅ पत्रावली पेश हुई। वकील करीम उपा.
 30/10/25 को पत्रावली पेश की। यह कार्यवाही 14/10/25 को
 जवाब पेश किए पत्रावली पेश करके
 दिनांक 23/10/25 को पेश है।

23⁶/₂₅ पत्रावली पेश हुई। वकील करीम उपा.
 पत्रावली कार्य स्वयंसेवक द्वारा किया है। पीठासीन आदेश है
 पत्रावली नही देना/अन्य कार्य
 पत्रावली/अन्य कार्य पेश करने से पत्रावली
 दिनांक 21/10/25 को पेश है। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

22²/₂₅ पत्रावली पेश हुई। वकील करीम उपा.
 पत्रावली कार्य स्वयंसेवक द्वारा किया है। पीठासीन आदेश है
 अधिकारी नही देना/अन्य कार्य
 पत्रावली/अन्य कार्य पेश करने से पत्रावली
 दिनांक 21/10/25 को पेश है। सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

12⁸/₂₅ पत्रावली पेश हुई। वकील करीम उपा.
 पूर्व में दिनांक 23.2.2023 को तहसीलदार
 मनोहरथाना से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो
 भ्रष्टाचार है। अतः पुनः विशुद्ध रिपोर्ट
 भिजाये जाने हेतु TDR मनोहरथाना को
 तहसील जायी कर पत्रावली बाले खास
 एवं TDR रिपोर्ट रिपोर्ट दिनांक 24/9/2025
 को पेश है।



P/Am
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

26.9.25 पत्रावली पेश। वकील करीम उपा.
 पत्रावली वाले कामेंदा मार्फत दिनांक 14.10.25 को
 पेश है। ए

14.10.25 पत्रावली पेश। वकील करीम उपा. पत्रावली
 वाले कामेंदा मार्फत दिनांक 28.10.25 को
 पेश है। ए

28.10.25 पत्रावली पेश। वकील करीम उपा. वहाल
 उपखण्ड सुनी गई। उक्त छापी वारा अपनी
 गोल लक जाने के लिए रास्ता धाए से संवर्धित
 है। पत्रावली के संलग्न पूर्व में प्राप्त तहसीलदार
 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दिनांक 23.2.23
 की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार तौर पर अंकित है।
 कर्मदा!

कमल/जोत तब जाने के लिए वैकल्पिक शस्त्र
भौंड है। तथा प्राणी के अविषण्डा ने एवले
असहजति नहीं जगाई है। यूंछि प्राणी अपनी जोत
तब जाने के लिए वैकल्पिक शस्त्र का इस्तेमाल कर सकत
है। अतः प्राणी का प्राणी अंगरि थाय २९। १५

यजरथान काइतकरी अधिनियम मेंहीनेबल नहीं है।  पं. २०२५
अतः प्राणी पर प्राणी अस्वीकार किया जाकर खारिज
निश्चित किया जाता है। फगवली नैपल शुमार दोकर
वाड तबमील नम्बर से कम दोकर पाविल एकर
से। 

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)